//

मांगीलाल आदि विरूद्ध सीताबाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 2701 –एक / 14 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, श्योपुर के प्रकरण कमांक 27/12–13/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 6–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकों द्वारा प्रकरण को स्थगित रखे जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया है तथा प्रकरण उनकी साक्ष्य हेतु नियत किया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही की कार्यवाही स्थगित रखने संबंधी आवेदकों की ओर से प्रस्तुत किए आवेदन को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार दिनांक 17–6–03 को आवेदक उनके समक्ष आए तब उनके द्वारा स्वत्व का प्रश्न नहीं उठाया गया और दिनांक 16–7–14 को स्थगन का बिंदु उठाया गया । उन्होंने यह पाया है कि 1–4–14 को व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है और 3 माह का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है । उक्त आधार पर उन्होंने आवेदकों द्वारा प्रकरण को स्थगित रखे जाने संबंधी	

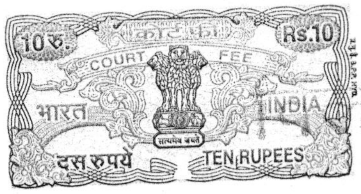

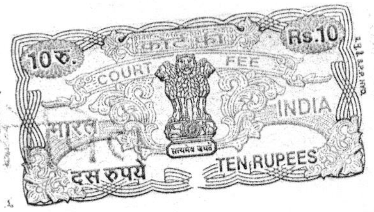

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-2701-I/14

1. मांगीलाल पुत्र श्री भेरूलाल, आयु– 60 वर्ष
2. शंकर पुत्र श्री भेरूलाल, आयु– 55 वर्ष, जाति – धाकड़, निवासीगण – अजापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

.......निगरानीकर्तागण

बनाम्

सीताबाई पत्नी श्री बृजमोहन पुत्री श्री भेरूलाल, आयु– 33 वर्ष, निवासीगण– प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

..........प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 27/12–13/अ–27 सीताबाई बनाम् शंकर आदि में न्यायालय तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.214 आदेश से दुखित होकर यह निगरानी आवेदन माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत है।

श्रीमान् जी,

निगरानी कर्तागण की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, मोजा अजापुर पटवारी हल्का नं. 63 भूमि सर्वे क्रमांक 274/1 सर्वे नं. 324, सर्वे नं. 377 मिन 1, की भूमि का बंटवारा कराए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रति निगरानीकर्ता सीताबाई कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सीताबाई के पिता भेरूलाल ने अपने जीवन काल में ही सीताबाई के शादी के उपरांत उसके हिस्से की जायदाद (जमीन आदि) के एवज में नगद धनराशि प्रदान कर दी थी और तब सीताबाई ने कोई एतराज नहीं जताया था।